न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– (आंगनबाड़ी) विविध वाद सं0–80 / 2014 बबीता कुमारी वनाम राज्य (जि0प्रो0पदा0,खगड़िया)
14 / 15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	*आदेश* उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 80 / 2014 बबीता कुमारी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.15 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका / सहायिका के चयन / चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। दायर अपील वाद में अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे पोषक क्षेत्र संख्या–162 की रहने वाली है और उनके पति का नाम पोषक क्षेत्र के वोटर लिस्ट में है। वे बी0पी0एल0 अन्तर्गत आती हैं तथा पी0पी0एल0 क्रमांक 453 में उनका नाम है। वे आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–161 एवं 162 में आंगनवाड़ी सेविका के लिए आवेदन दी थी। केन्द्र संख्या 161 का पोषक क्षेत्र पिछड़ा जाति का बाहूल्य है एवं केन्द्र सं0–162 अत्यन्त पिछड़ी जाति की बाहुल्य है। दिनांक 01.02.2011 को आम सभा की गयी और केन्द्र संख्या–161 में अनुसूचित जाति के रूबी कुमारी का तथा केन्द्र संख्या–162 में सामान्य वर्ग के अनामिका कुमारी का चयन किया गया है, जो नियम तथा मार्गदर्शिका के विरूद्ध है। उनका यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था और जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से प्रतिवेदन की	

मांग की गयी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2012 को समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र संख्या–161 एवं 162 पर चयन मार्गदर्शिका के विरूद्ध किया गया है। उनके द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के आवेदन के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0–1 के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि केन्द्र सं0–162 की नियुक्ति नियमानुकूल सही है। पोषक क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है एवं सेविका पोषक क्षेत्र की बहु है। आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

आदेविका के आवेदन के संबंध में प्रतिवादी नं0–2 की ओर से कहना था कि आंगनबाड़ी केन्द्र सं.–161 महादलित ढोला है एवं सेविका महादलित के अन्तर्गत आती है। आवेदिका का कहना है कि उसका घर आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–162 में है तो 161 पर इनका दावा कैसे बनता है और उनके द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। उनका यह भी कहना था कि अपीलार्थी बबीता कुमारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वे केन्द्र सं0–162 के पोषक क्षेत्र की है। इस आधार पर केन्द्र सं0–161 पर उनका का दावा स्वतः समाप्त हो जाता है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर के के पत्रांक 324 दिनांक 11.05.12 द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किा गया है कि केन्द्र संख्या–161 एवं 162 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की बाहूल्यता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदिका बबीता कुमारी स्थायी रूप से अपने पिता के घर गंधारसन गॉव में निवास करती है और वार्ड सं0–1 में दो आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया। दोनों केन्द्र के मैपिंग पंजी से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता और पति का नाम किसी भी पैपिंग पंजी में नहीं है। जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका के नाम मिनी आंगनाबड़ी केन्द्र 162 के पोषक क्षेत्र में अवस्थित

है। उनके प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदिका पोषक क्षेत्र की बेटी है जिस समय नियक्ति की जा रही थी बबीता कुमारी पोषक क्षेत्र में नही हैं तो उस आधार पर अनामिका कुमारी को बहाल किया गया था।

मार्गदर्शिका 2010 के कंडिका 4.4 के अनुसार सेविका पद पर चयन केवल बहू का किया जायगा एवं पोषक क्षेत्र बाहूल्य वर्ग के अभ्यर्थी में से ही चयन किया जायेगा। इसलिए केन्द्र सं0–161 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति क बाहूल्य वर्ग होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रूबी कुमारी का चयन मार्गदशिका, 2010 के नियमानुकुल नहीं रहने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगडिया द्वारा दिनांक 27.07.14 को पारित आदेश में रूबी कुमारी के चयन को रद्द कर दिया गया।

केन्द्र सं0–162 भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बाहूल्य होने के बावजूद सामान्य जाति के अभ्यर्थी का चयन किया गया है जो मागदर्शिका 2010 के नियम का उल्लंघन किया गया है । साथ ही बाल विकास परियोजना पदाकिारी अपने जॉच रिपोर्ट में जिक्र किया है कि अनामिका कुमारी ना तो बाहुल्य वर्ग से न पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत की है। वास्तव में अनामिका कमारी का घर नवस्वीकृत केन्द्र 161 के लिए बनाये गये पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस आधार पर अनामिका के चयन को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.07.14 को पारित आदेश से रद्द कर दिया गया तथा आवेदिका बबीता कुमारी के आवेदन को मार्दर्शिका 2010 के कंडिका 4.4 के आधार पर अस्वीकृत किया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर को आदेश दिया गया कि केन्द्र सं0–161 एवं 162 पर नये सिरे से चयन करने की कार्रवाई प्रारंभ करें।

अपीलार्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चली आ रही है। दैनिक समचार पत्र '' दैनिक जागरण'' में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया। फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई।

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के अलावे और कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया

कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बबीता कुमारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वे केन्द्र सं0–162 के पोषक क्षेत्र की है। इस आधार पर केन्द्र सं0–161 पर उनका का दावा स्वतः समाप्त हो जाता है। केन्द्र संख्या–162 के सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि केन्द्र संख्या–161 एवं 162 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की बाहूल्यता है। अपीलार्थी बबीता कुमारी स्थायी रूप से अपने पिता के घर गंधारसन गॉव में निवास करती है और वार्ड सं0–1 में दो आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया गया। दोनों केन्द्र के मैपिंग पंजी से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता और पति का नाम किसी भी पैपिंग पंजी में नहीं है तथा आवेदिका के नाम मिनी आंगनाबड़ी केन्द्र 162 के पोषक क्षेत्र में अवस्थित है। जिस समय नियक्ति की जा रही थी उस समय बबीता कुमारी पोषक क्षेत्र में नही थी और उस आधार पर अनामिका कुमारी को बहाल किया गया था।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 27.07.14 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता
खगड़िया।